<u>बैंक ग्राहकों के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं—किग्राविधि और सावधानियां</u>
(Incidents of Cyber Fraud with Bank Customers- Modus Operandi and Precautions)

आजकल कई बैंक ग्राहकों के साथ **<u>सरकारी योजनाओं के नाम पर ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud)</u>** की जा रही है। हाल ही में कई ग्राहकों को सरकारी योजनाओं के नाम पर ऑनलाइन और कॉल के माध्यम से ठगा गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, और जाली अफसर बनकर लोगों को धोखे में डालकर उनसे पैसे वसूलने की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं।
नीचे कुछ प्रमुख घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है ताकि बैंक सेवायुक्त और बैंक ग्राहक सतर्क रह सकें:

<u>हाल ही की प्रमुख धोखाधड़ी घटनाएं: सरकारी योजनाओं के नाम पर</u>

धोखाधड़ी के प्रमुख तरीके/Modus Operandi :

1. **प्रधानमंत्री आवास योजना का झांसा:**
    - कॉल पर कहा गया कि "आपका प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो गया है, ₹25,000 खाते में आएंगे।"
    - इसके बदले में रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस मांगी गई – यह पूरी तरह फर्जी है।
2. **सरकारी सिलाई मशीन योजना का झांसा:**
    - "₹15,000 आपके खाते में आया है, पहले ₹500-₹1000 भुगतान करें, फिर पैसे दिखेंगे।"
    - भुगतान करने पर कोई पैसा नहीं आया, बल्कि नुकसान हुआ।
3. **सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यकर्ता को ठगी:**
    - "सरकारी भुगतान आना है, मोबाइल पर भेजा लिंक क्लिक करो।"
    - जैसे ही लिंक क्लिक किया, UPI APP से पैसे कट गए।
4. **जिला अस्पताल से गर्भवती महिला के पैसे का झांसा:**
    - खुद को अस्पताल स्टाफ बताकर "गर्भवती योजना" के तहत पैसे देने की बात कही गई।
    - OTP या लिंक के माध्यम से **धोखा देकर पैसे निकाले गए।**
5. **श्रम विभाग व साइकिल योजना का झांसा:**
    - "हम श्रम विभाग से बोल रहे हैं, साइकिल योजना के तहत ₹25,000 मिलेगा", बोलकर
    - किश्तों में पैसे मंगवाए और फिर कोई संपर्क नहीं हुआ।

ग्राहक क्या कर सकते हैं?

- सरकारी या प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही आवेदन करें।
- किसी अनजान नंबर से आए लिंक कभी न खोलें।
- किसी भी लेन-देन से पहले योजना की सत्यता की पुष्टि करें।
- असली सरकारी योजनाओं की जानकारी सिर्फ सरकारी वेबसाइटों या कार्यालयों से लें।
- किसी भी सरकारी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे देने से पहले वैरिफिकेशन जरूर करें।

सावधान रहने के लिए जरूरी बातें:

- फोन पर कोई भी बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
- किसी अनजान कॉलर या WhatsApp मैसेज पर भरोसा न करें।
- फ्री पैसे, टास्क, या स्कीमों से जुड़े Telegram/WhatsApp ग्रुप से दूर रहें।
- किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर हमेशा उनकी आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें।
- किसी भी QR Code को बिना जांचे न स्कैन करें। किसी अनजान नंबर से आए लिंक कभी न खोलें।
- रिफंड या पेमेंट से संबंधित किसी भी कॉल में अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने को कहा जाए, तो सतर्क हो जाएं।

यदि आप साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठाएं:

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: https://cybercrime.gov.in
- साइबर हेल्पलाइन नंबर (गृह मंत्रालय, भारत सरकार): 1930
- साथ ही, आप बैंक शाखा में जाकर FIR की प्रति के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।